

न्यायालय— शरद जोशी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अंजड जिला
बडवानी म.प्र.

आर.सीटी. नं. 62 / 18
आप0प्र0क0— 72 / 2018
संस्थापन दिनांक—19.04.2018

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र ठीकरी,
जिला बडवानी म0प्र0

विरुद्ध

.....अभियोगी

मानसिंह पिता राणाजी
निवासी— बघाडी थाना ठीकरी जिला बडवानी म0प्र0

.....अभियुक्त

// निर्णय //
(आज दिनांक 19.04.2018 को घोषित)

01— अभियुक्त **मानसिंह** के विरुद्ध 34 (1) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत दिनांक **11.02.2018** को **13:30 व 14:30** बजे **देवकीपुरा पुलिया के पास बघाडी ठीकरी** आपके आधिपत्य में वैध अनुज्ञप्ति के विना एक प्लास्टिक की सफेद केन में कच्ची शराब करीबन 10 लीटर रखने का आरोप है।

02— प्रकरण में उल्लेखनीय तथ्य है कि, अभियुक्त के द्वारा स्वेच्छा पूर्वक अपराध स्वीकार किया गया है।

03— अभियोजन कथन संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 11.02.2018 को मुखबिर द्वारा सूचना मिली की मानसिंह पिता राणाजी अवैध रूप से एक प्लाष्टिक की केन में कच्ची हाथ भट्टी की महुआ की शराब लेकर पाये गये। मुखबिर की सूचना पर पंचान को सूचना से अवगत कराकर फोर्स व पंचान के साथ बघाडी देवकीपुरा फलिया पर पहुँचे तो थोड़ी देर बाद बघाडी देवकीपुरा तरफ से एक व्यक्ति सफेद रंग की प्लाष्टिक की केन हाथ में लेकर आते दिखा, जिसे घेराबंदी कर नाम पता पूछने पर मानसिंह पिता राणाजी होना बताया, उसके कब्जे में रखी प्लाष्टिक की केन को

निरंतर.....

//2//

आर.सीटी. नं. 62/18

आप0प्र0क0— 72/2018
संस्थापन दिनांक—19.04.2018

चेक करने पर उसके अंदर महुँए की हाथ भट्टी बनी कच्ची शराब 10 लीटर मिली। आरोपी मानसिंह से शराब लाने ले जाने का लायसेंस पूछने पर उसने नहीं होना बताया। आरोपी के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब जप्त की जाकर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। विधिवत् जप्ति व आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। आरोपी के विरुद्ध थाने के अप0 क0 37/18 पर प्रथम सूचना पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण विवेचना में लिया गया तथा विवेचना उपरांत आरोपी मानसिंह पिता राणाजी के विरुद्ध अभियोग पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04— प्रकरण में आरोपी मानसिंह पिता राणाजी ने अपराध स्वीकार किया। अभियुक्त को दंड का परिणाम से अवगत कराया गया और उसे समझाया गया कि वह संस्वीकृती करने के लिये आबद्ध नहीं है। किन्तु अभियुक्त के द्वारा अपराध समझने के उपरांत प्रश्नगत दिनांक को अपने आधिपत्य में बिना अनुज्ञप्ति 10 लीटर कच्ची शराब रखना स्वीकार किया है। अतः स्वेच्छापूर्ण की गई संस्वीकृती के आधार पर अभियुक्त को धारा 34 (1) आबकारी अधिनियम के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है।

05— अभियुक्त को धारा 34 (1) आबकारी अधिनियम के आरोप में न्यायालय उठने की सजा एवं 1000/— रु के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड की राशि अदा नहीं किये जाने पर 07 दिवस का सश्रम कारावास भुगताया जावे।

06— प्रकरण में जप्त शुद्धा देशी मदिरा मूल्यहीन होने से नष्ट की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
व दिनांकित कर घोषित किया गया

मेरे निर्देशन व बोलने पर
टंकित किया गया।

सही/—

(शरद जोशी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
अंजड़ जिला बड़वानी म0प्र0

सही/—

(शरद जोशी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
अंजड़ जिला बड़वानी म0प्र0

